

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 364**  
TO BE ANSWERED ON 06.04.2022

**WAGE RATE UNDER MGNREGA**

364 SHRI K.C. VENUGOPAL:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) the amount of wage rates given under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), State-wise;
- (b) the details of households completing 100 days of work out of total beneficiaries during the last three years, State-wise;
- (c) whether it is a fact that at a time when cost of living is increasing day-by-day, such a low remuneration discourage them and propel them to seek work in urban areas;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) the steps Government proposes to take to increase the remuneration under this scheme and for uniform wages?

**ANSWER**  
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT  
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

**Statement in reply to Parts (a) to (e) of Rajya Sabha Starred Question No. 364 for 06.04.2022**

(a): State/UT-wise notified wage rates for unskilled worker under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS), for the financial years 2021-22 and 2022-23 is given at **Annexure-I**.

(b): State/UT-wise number of households completed 100 days of employment under Mahatma Gandhi NREGS in the financial year 2018-19, 2019-20, 2020-21 is given at **Annexure-II**.

(c) & (d): Mahatma Gandhi NREGS is a demand driven wage employment programme which provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. **It provides livelihood security, i.e. fall back options for livelihood for the rural households, when no better employment opportunity is available.**

(e): As per Section 6 (1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mahatma Gandhi NREGA), 2005, the Central Government may by notification specify the wage rate for unskilled work for its beneficiaries. Accordingly, the Ministry of Rural Development notifies Mahatma Gandhi NREGA wage rate for every financial year for States/UTs. To compensate the Mahatma Gandhi NREGA workers against inflation, the Ministry of Rural Development revises the wage rate every year based on change in Consumer Price Index for Agricultural Labour (CPI-AL). If the calculated wage rate of any State/UT is coming lower than the wage rate of previous financial year, it is being protected by maintaining the previous financial year wage rate. The revised wage rate is made applicable from 1<sup>st</sup> April of each financial year. State Governments can provide wage over and above the wage rate notified by the Central Government under Mahatma Gandhi NREGS.

\*\*\*\*\*

**Annexure-I referred in reply to part (a) of Rajya Sabha Starred Question No. 364 dated  
06.04.2022.**

| State/UT-wise notified wage rates for unskilled worker under Mahatma Gandhi NREGS for the financial years 2021-22 and 2022-23. |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| S. No.   | State/UT  | FY 2021-22 | FY 2022-23 |
| 1  | ANDHRA PRADESH  | 245        | 257        |
| 2  | ARUNACHAL PRADESH   | 212        | 216        |
| 3  | ASSAM   | 224        | 229        |
| 4  | BIHAR   | 198        | 210        |
| 5  | CHHATTISGARH  | 193        | 204        |
| 6  | GUJARAT   | 229        | 239        |
| 7  | HARYANA   | 315        | 331        |
| 8  | HIMACHAL PRADESH - NON SCHEDULED AREA                     | 203        | 212        |
| 8a   | HIMACHAL PRADESH - SCHEDULED AREA                         | 254        | 266        |
| 9  | JAMMU & KASHMIR   | 214        | 227        |
| 10   | LADAKH  | 214        | 227        |
| 11   | JHARKHAND   | 198        | 210        |
| 12   | KARNATAKA   | 289        | 309        |
| 13   | KERALA  | 291        | 311        |
| 14   | MADHYA PRADESH  | 193        | 204        |
| 15   | MAHARASHTRA   | 248        | 256        |
| 16   | MANIPUR   | 251        | 251        |
| 17   | MEGHALAYA   | 226        | 230        |
| 18   | MIZORAM   | 233        | 233        |
| 19   | NAGALAND  | 212        | 216        |
| 20   | ODISHA  | 215        | 222        |
| 21   | PUNJAB  | 269        | 282        |
| 22   | RAJASTHAN   | 221        | 231        |
| 23   | SIKKIM  | 212        | 222        |
| 23a  | SIKKIM(3 Gram Panchayat namely Gnathang, Lachung, Lachen) | 318        | 333        |
| 24   | TAMIL NADU  | 273        | 281        |
| 25   | TRIPURA   | 212        | 212        |
| 26   | UTTAR PRADESH   | 204        | 213        |
| 27   | UTTARAKHAND   | 204        | 213        |
| 28   | WEST BENGAL   | 213        | 223        |
| 29   | GOA   | 294        | 315        |
| 30   | ANDAMAN & NICOBAR   |            |            |
| 30a  | ANDAMAN   | 279        | 292        |
| 30b  | NICOBAR   | 294        | 308        |
| 31   | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu                  | 269        | 278        |
| 32   | LAKSHADWEEP   | 266        | 284        |
| 33   | PUDUCHERRY  | 273        | 281        |
| 34   | TELANGANA   | 245        | 257        |

**Annexure-II referred in reply to part (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 364 dated 06.04.2022**

| State/UT-wise number of households completed 100 days of employment under the Mahatma Gandhi NREGS in the financial year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 |  |   |         |         |
|---|--|---|---------|---------|
| Sl. No.   | State/UT                                 | Households completed 100 days of employment (in lakh) |         |         |
|   |  | 2018-19   | 2019-20 | 2020-21 |
| 1   | Andhra Pradesh                           | 8.67  | 5.82    | 8.64    |
| 2   | Arunachal Pradesh                        | 0   | 0       | 0.04    |
| 3   | Assam                                    | 0.18  | 0.3     | 0.72    |
| 4   | Bihar                                    | 0.25  | 0.2     | 0.35    |
| 5   | Chhattisgarh                             | 4.28  | 4.18    | 6.12    |
| 6   | Goa                                      | 0   | 0       | 0       |
| 7   | Gujarat                                  | 0.34  | 0.13    | 0.17    |
| 8   | Haryana                                  | 0.04  | 0.05    | 0.14    |
| 9   | Himachal Pradesh                         | 0.7   | 0.61    | 0.89    |
| 10  | Jammu And Kashmir                        | 0.38  | 0.13    | 0.23    |
| 11  | Jharkhand                                | 0.26  | 0.31    | 1.14    |
| 12  | Karnataka                                | 2.11  | 1.87    | 2.41    |
| 13  | Kerala                                   | 4.42  | 2.51    | 4.7     |
| 14  | Ladakh                                   | 0   | 0.01    | 0.01    |
| 15  | Madhya Pradesh                           | 0.77  | 0.91    | 3.23    |
| 16  | Maharashtra                              | 1.92  | 1.24    | 1.37    |
| 17  | Manipur                                  | 0   | 0.01    | 0.04    |
| 18  | Meghalaya                                | 1.61  | 1.81    | 1.74    |
| 19  | Mizoram                                  | 0.82  | 1.58    | 1.79    |
| 20  | Nagaland                                 | 0   | 0       | 0       |
| 21  | Odisha                                   | 0.47  | 1.61    | 4.18    |
| 22  | Punjab                                   | 0.07  | 0.08    | 0.28    |
| 23  | Rajasthan                                | 5.88  | 8.49    | 12.31   |
| 24  | Sikkim                                   | 0.05  | 0.04    | 0.06    |
| 25  | Tamil Nadu                               | 2.6   | 1.21    | 1.79    |
| 26  | Telangana                                | 2.27  | 1.76    | 3.42    |
| 27  | Tripura                                  | 0.15  | 0.55    | 1.16    |
| 28  | Uttar Pradesh                            | 0.72  | 1.33    | 7.79    |
| 29  | Uttarakhand                              | 0.26  | 0.22    | 0.48    |
| 30  | West Bengal                              | 13.37   | 3.66    | 6.79    |
| 31  | Andaman And Nicobar                      | 0   | 0       | 0       |
| 32  | Lakshadweep                              | 0   | 0       | 0       |
| 33  | Puducherry                               | 0   | 0       | 0       |
| 34  | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 0   | 0       | 0       |
|   | Total                                    | 52.6  | 40.61   | 71.97   |

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. 364\*  
(दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

**‘मनरेगा’ के अधीन दी जाने वाली दिहाड़ी की दर**

**364\*. श्री के.सी. वेणुगोपाल:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अधीन राज्य-वार कितनी-कितनी दिहाड़ी दी जाती है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल लाभार्थियों में से 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय जब जीवन यापन की लागत दिनानुदिन बढ़ रही है , ऐसे में इतना कम पारिश्रमिक उन्हें हतोत्साहित करेगा और उन्हें शहरी क्षेत्रों में काम ढूँढने के लिए मजबूर करेगा;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस योजना के अधीन मिलने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि करने और एक समान दिहाड़ी निर्धारित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**उत्तर**  
**ग्रामीण विकास मंत्री**  
**(श्री गिरिराज सिंह)**

(क) से (ङ.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 364 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए महात्माश गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत अकुशल कामगारों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें अनुबंध-1 में दी गई हैं।

(ख): वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-11 में दी गई है।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा अर्थात् रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में आजीविका के लिए विकल्प प्रदान करती है।

(ड.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी दर अधिसूचित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीति की भरपाई करने के लिए कृषि मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। यदि किसी राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की गणना की गई मजदूरी दर विगत वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर से कम बन रही है तो विगत वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर को यथावत रखते हुए इसको संरक्षित किया जा रहा है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू की जाती है। राज्य सरकारें महात्माक गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दे सकती हैं।

राज्य सभा में दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 364 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

| वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए महात्मा जी गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अकुश कामगारों के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| क्र. सं.  | राज्य /संघ राज्य क्षेत्र                                | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2022-23 |
| 1   | आंध्र प्रदेश  | 245           | 257           |
| 2   | अरुणाचल प्रदेश  | 212           | 216           |
| 3   | असम   | 224           | 229           |
| 4   | बिहार   | 198           | 210           |
| 5   | छत्तीसगढ़   | 193           | 204           |
| 6   | गुजरात  | 229           | 239           |
| 7   | हरियाणा   | 315           | 331           |
| 8   | हिमाचल प्रदेश - गैर अधिसूचित क्षेत्र                    | 203           | 212           |
| 8a  | हिमाचल प्रदेश - अधिसूचित क्षेत्र                        | 254           | 266           |
| 9   | जम्मू और कश्मीर   | 214           | 227           |
| 10  | लद्दाख  | 214           | 227           |
| 11  | झारखंड  | 198           | 210           |
| 12  | कर्नाटक   | 289           | 309           |
| 13  | केरल  | 291           | 311           |
| 14  | मध्य प्रदेश   | 193           | 204           |
| 15  | महाराष्ट्र  | 248           | 256           |
| 16  | मणिपुर  | 251           | 251           |
| 17  | मेघालय  | 226           | 230           |
| 18  | मिजोरम  | 233           | 233           |
| 19  | नागालैंड  | 212           | 216           |
| 20  | ओडिशा   | 215           | 222           |
| 21  | पंजाब   | 269           | 282           |
| 22  | राजस्थान  | 221           | 231           |
| 23  | सिक्किम   | 212           | 222           |
| 23क   | सिक्किम (गणथांग, लाचुंग और लाचेन नामक 3 ग्राम पंचायतें) | 318           | 333           |
| 24  | तमिलनाडु  | 273           | 281           |
| 25  | त्रिपुरा  | 212           | 212           |
| 26  | उत्तर प्रदेश  | 204           | 213           |
| 27  | उत्तराखंड   | 204           | 213           |
| 28  | पश्चिम बंगाल  | 213           | 223           |

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए महात्माद गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अकुशल कामगारों के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें

| क्र. सं. | राज्य /संघ राज्य क्षेत्र          | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2022-23 |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 29       | गोवा                              | 294           | 315           |
| 30       | अंडमान और निकोबार                 |               |               |
| 30क      | अंडमान                            | 279           | 292           |
| 30ख      | निकोबार                           | 294           | 308           |
| 31       | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 269           | 278           |
| 32       | लक्षद्वीप                         | 266           | 284           |
| 33       | पुदुचेरी                          | 273           | 281           |
| 34       | तेलंगाना                          | 245           | 257           |



राज्य सभा में दिनांक 06.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 364 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।।

| वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या |                       |  |         |         |
|--|-----------------------|--|---------|---------|
| क्र. सं.   | राज्य /सं.रा. क्षेत्र | 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार (लाख में) |         |         |
|  |                       | 2018-19  | 2019-20 | 2020-21 |
| 1  | आंध्र प्रदेश          | 8.67   | 5.82    | 8.64    |
| 2  | अरुणाचल प्रदेश        | 0  | 0       | 0.04    |
| 3  | असम                   | 0.18   | 0.3     | 0.72    |
| 4  | बिहार                 | 0.25   | 0.2     | 0.35    |
| 5  | छत्तीसगढ़             | 4.28   | 4.18    | 6.12    |
| 6  | गोवा                  | 0  | 0       | 0       |
| 7  | गुजरात                | 0.34   | 0.13    | 0.17    |
| 8  | हरियाणा               | 0.04   | 0.05    | 0.14    |
| 9  | हिमाचल प्रदेश         | 0.7  | 0.61    | 0.89    |
| 10   | जम्मू और कश्मीर       | 0.38   | 0.13    | 0.23    |
| 11   | झारखंड                | 0.26   | 0.31    | 1.14    |
| 12   | कर्नाटक               | 2.11   | 1.87    | 2.41    |
| 13   | केरल                  | 4.42   | 2.51    | 4.7     |
| 14   | लद्दाख                | 0  | 0.01    | 0.01    |
| 15   | मध्य प्रदेश           | 0.77   | 0.91    | 3.23    |
| 16   | महाराष्ट्र            | 1.92   | 1.24    | 1.37    |
| 17   | मणिपुर                | 0  | 0.01    | 0.04    |
| 18   | मेघालय                | 1.61   | 1.81    | 1.74    |
| 19   | मिजोरम                | 0.82   | 1.58    | 1.79    |
| 20   | नागालैंड              | 0  | 0       | 0       |
| 21   | ओडिशा                 | 0.47   | 1.61    | 4.18    |
| 22   | पंजाब                 | 0.07   | 0.08    | 0.28    |
| 23   | राजस्थान              | 5.88   | 8.49    | 12.31   |
| 24   | सिक्किम               | 0.05   | 0.04    | 0.06    |
| 25   | तमिलनाडु              | 2.6  | 1.21    | 1.79    |
| 26   | तेलंगाना              | 2.27   | 1.76    | 3.42    |
| 27   | त्रिपुरा              | 0.15   | 0.55    | 1.16    |
| 28   | उत्तर प्रदेश          | 0.72   | 1.33    | 7.79    |
| 29   | उत्तराखंड             | 0.26   | 0.22    | 0.48    |

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

| क्र. सं. | राज्य /सं.रा. क्षेत्र               | 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार<br>(लाख में) |              |              |
|----------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
|          |                                     | 2018-19   | 2019-20      | 2020-21      |
| 30       | पश्चिम बंगाल                        | 13.37   | 3.66         | 6.79         |
| 31       | अण्डमान और निकोबार                  | 0   | 0            | 0            |
| 32       | लक्षद्वीप                           | 0   | 0            | 0            |
| 33       | पुदुचेरी                            | 0   | 0            | 0            |
| 34       | दादरा और नगर हवेली और दमन<br>और दीव | 0   | 0            | 0            |
|          | <b>कुल</b>                          | <b>52.6</b>   | <b>40.61</b> | <b>71.97</b> |

**श्री संजय सेठ :** उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है, क्या वैसे ही सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब मज़दूरों के लिए भी मनरेगा की कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है?

**साध्वी निरंजन ज्योति :** सर, यह योजना निश्चित तौर से ग्रामीण इलाकों के लिए है, शहरी इलाकों के लिए नहीं है।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** उपसभापति महोदय, यहां पर मंत्री जी के written reply में कहा गया है कि हर साल इसमें हम, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में, कोरोना के दौर में गरीब लोगों के लिए मनरेगा एक आशीर्वाद के रूप में काम करता है, इसलिए मंत्री जी ने जो written reply दिया है, उसको देखते हुए हर साल जो बढ़ोतरी होनी चाहिए- the statement is given about 2021-22 and 2022-23, तो उसमें दो रुपये, चार रुपये और पांच रुपये बढ़ोतरी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब गैस का सिलेंडर 410 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये का हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये के पार है, महंगाई बहुत है, तो क्या आप इसमें ज्यादा बढ़ोतरी करना चाहते हैं या नहीं?

**श्री गिरिराज सिंह :** उपसभापति महोदय, मनरेगा की जो मज़दूरी दर है, उसमें वर्ष 2011 से CPI-AL के through इसकी बढ़ोतरी करते हैं। जो उधर बैठे हैं, उन्हीं के समय से, 2011 से उसी आधार पर हम प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे, तो वर्ष 2017-18 से लेकर हर राज्य का जो लेबर रेट है, उस लेबर रेट को बेस मानकर जो CPI-AL है, हम उसके आधार पर करते हैं।

**SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY:** Sir, unemployment is a great challenge in the country and MGNREGA is one way to earn livelihood as an unskilled worker. What steps did the Government take during the lockdown and during pandemic to ensure livelihood and provide security through NREGA? I have another question.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** No, you have already put two questions.

**साध्वी निरंजन ज्योति :** उपसभापति महोदय, यह मांग आधारित रोजगार है। मेरा मानना यह है कि जितनी मांग होती है, हम उतना देने के लिए प्रयास करते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब कोरोना कार्यकाल में प्रवासी मज़दूर वापस आए, उस समय बजट भी बढ़ाकर दिया गया।... (व्यवधान) ...मुझे यह लग रहा है कि यह मांग आधारित है।

**श्री उपसभापति :** प्लीज़, आपस में बैठकर बात न करें। क्वेश्चन ऑवर चल रहा है और मेम्बर्स का ऑवर है। यदि आपस में सीट पर बैठकर बात करके शोर करेंगे, तो दूसरों को disturbance होगी। क्वेश्चन नं. 365. श्री महेश पोद्दार।